




059 22/6/17

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com



आदेश क्रमांक 5/4-2017 PS(2)

दिनांक, पंचकूला: 20-06-2017

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए New India Sr. Sec. School,

Sector-15, Panchkula को कक्षा 1 से 12 तक केन्द्रिय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति

प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय के स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 4/17-95 सै0 शिक्षा (1) दिनांक 09-07-1996 में

निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने

की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा।

राजीव रत्न
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।


पृष्ठांकन क्रमांक सम


दिनांक पंचकूला 21/6/17

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक समिति, New India Public School Education Society, Sector-11, Panchkula.
2. सचिव केन्द्रिय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2, कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत विहार दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, Panchkula.
Principal, New India Sr. Sec. School, Sector-15, Panchkula.
टेक्नोलोजी आफिसर (लोकल)।


President
New India Public School
Education Society (Regd.)
Panchkula


Principal
New India Sr. Sec. School
Sector-15, Panchkula (Hry.)


अधीक्षक पी0एस0
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।